

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 777, 778 व 779 / 2014 / उदयपुर

मैसर्स आई.डी.एल.एक्सप्लोसिक्स, उदयपुर।

अपीलार्थी व्यवहारी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी विभाग

अपील संख्या - 1315, 1316 व 1317 / 2014 / उदयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर।

.....अपीलार्थी विभाग

बनाम

मैसर्स आई.डी.एल.एक्सप्लोसिक्स, उदयपुर।

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित:-

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।
श्री वी.सी.सोगानी,
अधिवक्ता।

विभाग की ओर से

व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.04.2015

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तीन अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 24.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं तथा जो क्रमशः अपील संख्या 79, 80 व 81 / वेट / 2013-14 / उदयपुर के संबंध में हैं जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत निर्धारण वर्ष क्रमशः 2011-12, 2012-13 व 2013-14 के लिये पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 20.06.2013 के जरिये तालिकानुसार कायम कर व ब्याज की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है, जबकि विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित कर की दोगुना शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित कर, उक्त तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

तालिका

(मांग राशि रु. में)

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
777 / वेट / 13-14 /	2011-12	54,115 / -	10,282 / -	1,08,230 / -
778 / वेट / 13-14 /	2012-13	94,541 / -	8,509 / -	1,89,082 / -
779 / वेट / 13-14 /	2013-14	8,716 / -	-	17,433 / -
				लगातार.....2

अपील संख्या - 777, 778 व 779, 1315, 1316 व 1317/2014/उदयपुर

चूंकि प्रस्तुत छः अपीलों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः हस्तगत छः अपीलों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्राप्ति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी फर्म का दिनांक 12.06.2013 को सर्वेक्षण श्री मनीष पागे, प्रबंधक की उपस्थिति में निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। श्री मनीष द्वारा यह प्रकट किया गया कि फर्म का मुख्य व्यवसाय एक्सप्लोसिव के विनिर्माण व ट्रेडिंग का व्यवसाय किया जाता है। यह भी जाहिर किया कि फर्म द्वारा मुख्यतः माईनिंग उत्पादन में कार्यरत विभिन्न फर्मों को एक्सप्लोसिव का विक्रय भी किया जाता है। कथन किया कि फर्म का मुख्य कार्यालय राज्य के बाहर हैदराबाद में है तथा राज्य में उदयपुर में फैक्ट्री तथा मैग्जीन होना प्रकट किया गया यही नहीं राज्य के बाहर स्थित मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट में कार्टेजेस फार्म में एक्सप्लोसिव का निर्माण कर कार्टेसज रूप में एक्सप्लोसिव का स्टॉक ट्रांसफर करते हुये उदयपुर आया कि किया जाना प्रकट कर, उदयपुर में स्थित विभिन्न व्यवहारियों को भी विक्रय करना प्रकट किया गया। श्री मनीष द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि फर्म में तरल रूप (Liquid form) में तैयार कर, डिलीवरी के लिये फर्म में पास पम्प ट्रक है जिनमें एक्सप्लोसिव "रेडी टू यूज" रूप में तैयार रहता है जिसे क्रेता द्वारा बताये गये पते/स्थल पर ले जाया जाकर, सीधे प्रयुक्त किया जाता है। निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि फर्म द्वारा एक्सप्लोसिव को तरल रूप में अपने ही पम्प ट्रक से व्यवहारियों के व्यवसाय स्थल तक पहुँचाया जाता है एवम् उक्त का कोई भाड़ा नहीं लिया जाता है किन्तु कार्टेजेस फार्म के एक्सप्लोसिव की डिलीवरी विशिष्ट रूप से तैयार करने से करने के कारण उक्त के डिलीवरी के लिये पृथक् से किराया भाड़ा वसूल किया जाता है। निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि कार्टेजेस फार्म की बिक्री बिलों में भाड़ा बिक्री बिल पर आरोपित किया जाता है परन्तु उक्त भाड़े को फर्म द्वारा कुल कर योग्य पण्यवर्त में सम्मिलित नहीं किया गया है एवम् न ही उक्त पर कर ही वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया है। अतः उक्त के स्पष्टीकरण व अपवंचित पण्यवर्त कमशः रु.3,86,534/-, रु.6,75,293/- व रु.62,260/- पर करारोपण व अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दोगुना शास्ति की कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिसेज जारी किया गये। जारी नोटिसेज की पालना में व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गये जिसे अस्वीकार कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा तालिकानुसार कर, ब्याज व शास्ति की मांग राशियां आरोपित कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश पारित किया गये। जिनसे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि की गयी। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा उक्त तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर, विपणन

अपील संख्या - 777, 778 व 779, 1315, 1316 व 1317/2014/उदयपुर
द्वारा तीन अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनील गयी।

विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के फ्रेट चार्जेज (Freight Charges) के रूप में प्राप्त की गई राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानते हुए उस पर विधिनुसार कर, ब्याज एवं शास्ति का अधिरोपण किया गया था, जिसके संबंध में कर व ब्याज की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से की गयी है। जबकि अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियों के संबंध में तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी औचित्य के अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। अतः शास्तियों के बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर पारित संयुक्तादेश को अपास्त करने की प्रार्थना कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होने का कथन कर, तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(36) में परिभाषित "Sale price" एवं Explanation II का भी उल्लेख करते हुए कथन किया गया कि संविदा शर्तों के अनुसार बिलों में पृथक से दर्शाई गई भाड़ा राशि को विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.10.87, 73 एस टी सी 317 विनोद कोल सिन्डीकेट बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर यू.पी. लखनऊ में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए कथन किया गया कि इस प्रकरण में बिक्री बिलों में पृथक से दर्शाये गये भाड़े की राशि को कर योग्य टर्नआवेर की बिक्री में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय 11 सेल्स टैक्स टूडे (2002) 138, वा.क.अ., प्रति-करापवंचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स आगरा ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लि, मनिया, धौलपुर में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने माल की बिक्री के बिलों में अलग से दर्शाई गई फ्रेट राशि विक्रय बिल का भाग नहीं होगी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश कर व ब्याज के बिन्दु पर विधिसम्मत नहीं होने का कथन कर, अपास्त कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

जहां तक अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, कथन किया कि व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है, एवम् माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्रय संव्यवहारों के बहीयात में उक्त

लगातार.....

✓

अपील संख्या - 777, 778 व 779, 1315, 1316 व 1317 / 2014 / उदयपुर होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है:-

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स राजस्थान वाईन 87 एस.टी.सी. 362 (राज.)
- (iii) मैसर्स प्रेमचन्द ताराचन्द बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी 104 एस.टी.सी. 351 (आर.टी.टी.)
- (iv) मैसर्स विजय होजरी बनाम् राजस्थान राज्य 45 एस.टी.सी. 345 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.)
- (vi) मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि. बनाम् उड़ीसा राज्य 25 एस.टी.सी 211 (सु.को.)
- (vii) टी.अशोक पाई बनाम् कमिशनर ऑफ इन्कम टैक्स 13 आर.एस.टी.आर 201 (सु.को.)
- (viii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, अजमेर बनाम् पहाड़िया टैक्सटाईल्स कॉरपोरेशन ब्यावर 7 वैट रिपोर्टर 132 (राज.)
- (ix) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)
- (ix) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)
- (x) मैसर्स प्रिन्स स्टोन कम्पनी बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा 30 टैक्स अपडेट 9
- (xi) मैसर्स यूनीफलैक्स केबल्स लि. बनाम् कमिशनर सेन्ट्रल एक्साईज, सूरत (2011) 40 पीएचटी 28 (सु.को.)

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के बिन्दु पर पारित आदेश को विधिक होने का कथन कर, उक्त बिन्दु पर अपीलीय आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना कर, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना को

अपील संख्या - 777, 778 व 779, 1315, 1316 व 1317 / 2014 / उदयपुर
गयी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
हस्तगत प्रकरणों में विवाद का मुख्य बिन्दु यह है कि क्या विक्रय बिलों में भाड़ा
राशि के रूप में पृथक से वसूल की गई राशि विक्रय को मूल्य का भाग माना
हुए इस पर कर आरोपणीय है अथवा नहीं ? इस सन्दर्भ में राजस्थान विक्रय
कर अधिनियम की धारा 2(36) एवं इसके Explanation III तथा केन्द्रीय विक्रय
कर अधिनियम, 1956 की धारा 2(h) का अवलोकन किया जाना भी समीचीन
होगा, जो निम्न प्रकार है :-

2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a
dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed
by way of any kind of discount or rebate according to the practice
normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or
any sum charged for anything done by the dealer in respect of the
goods or services rendered at the time of or before the delivery
thereof, except the tax imposed under this Act;

"Explanation III :- Where according to the terms of a contract, the
cost of freight and other expenses in respect of the transportation of
goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such
cost of freight and other expenses shall not be included in the sale
price, if charged separately in the invoice.


CST, 1956 Sec. 2(h) "sale price" means the amount payable to a dealer as
consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash
discount according to the practice normally prevailing in the trade, but
inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of
the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of
freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is
separately charged.

अतः अधिनियम की धारा 2(36) व इसके स्पष्टीकरण 3 तथा केन्द्रीय
बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(h) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भाड़ा राशि
विक्रय राशि का भाग नहीं होने से इस पर कर आरोपित नहीं किया जा
सकता। यही सिद्धान्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 73 एस
टी सी 317, मैसर्स विनोद कोल सिन्डीकेट बनाम आयुक्त, सेल्स टैक्स, यूपी,
लखनऊ के निर्णय दिनांक 30.10.87 तथा कर बोर्ड द्वारा 11 सेल्स टैक्स सुप्रीम
(2002) 138, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रति-करापवंचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर
बनाम मैसर्स आगरा ब्रेवरीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनिया धौलपुर में पारित

अपील संख्या — 777, 778 व 779, 1315, 1316 व 1317 / 2014 / उदयपुर
निर्णय दिनांक 13.8.2001 व 20 टैक्स अपडेट 335 में प्रतिपादित किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध संविदा दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि क्रेता फर्म द्वारा किराया भाड़ा अलग से अदा किया गया है जैसा कि संविदा में अंकित है "Freight- Freight charges @4500/- per trip for to and fro upto 1.30 MT, Rs 6000/- per trip for to and fro up to 3.00MT and above 3 to 9 MT Rs 8000/- per trip from your magazine shall be paid extra (पृष्ठ क्रमांक-40)", Freight- You shall be paid extra from your magazine to our kotputli cement works. (पृष्ठ क्रमांक-42)", Freight-Rs 14/- per km. shall be paid extra. (पृष्ठ क्रमांक-44 व 54), Special instruction-Freight and security Ch 11.5 per Km. will be charged extra. (पृष्ठ क्रमांक-56), उपरोक्त विवेचन तथा तथ्यात्मक बिन्दुओं के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा भाड़ा राशि को विक्रय मूल्य का भाग मानने में विधिक त्रुटि की गई है, जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक भूल की गयी। फलतः कर व ब्याज के संबंध में दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अतः जब कर ही इस पीठ द्वारा अपास्त कर दिया गया है तो अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियां विधिशून्य हो जाती हैं। फलस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियां भी अपास्त की जाती है एवम् उक्त बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

परिणामतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीन अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत तीन अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।


17.4.2015
(मदन लाल)
सदस्य